

समाचार-प्रकाष्ठनार्थः-

24 अप्रैल रविवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 256 ट्रीप

101 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रत्नाम 24 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^{a} चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 24 अप्रैल रविवार को 101 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे^{a} चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

24 अप्रैल रविवार को डम्पर से 21905 किलो, टे^{a} क्टर से 5430 किलो, मैजिक सूखा कचरा 48430 किलो, मैजिक गीला कचरा 25450 किलो, सेनेटरी कचरा 3 किलो, घरेलू हानिकारक कचरा 2 किलो इस तरह कुल 101220 किलो कचरा जुलवानिया टे^{a} चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

कचरा, गंदंगी व अतिक्रमण करने पर 6 व्यक्तियों पर जुर्माना

मोहन नगर व सायर चबुतरा में दुकानें सील

रत्नाम 24 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैं, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 24 अप्रैल को 6 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार क्षत्रिय खटीक धर्मषाला पर 7000, नीलेष जैन पर 5000, अकबर पर 3000, अमीर, राकेष व संतोश पर 500-500 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदंगी, अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाई दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही उपर्यंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देषन में स्पॉट फाईन दल द्वारा की गई।

27 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रत्नाम 24 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 24 अप्रैल को प्रातः 22 व दोपहर में 5 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की बिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की बिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

24 अप्रैल रविवार को झोन क्रमांक 1 में विक्की-दिनेष, बादल-दिलीप, राकेष-रत्नलाल, विजय-सुरेष, अजय-विनोद, झोन क्रमांक 2 में रोहित-रमेष, नितीन-कमल, रमेष-मुंषी, महेन्द्र-नेहरू, रवि-सुरेष, षिवकन्या-रमेष, राकेष-रामप्रसाद,

राधाबाई-गोपाल, उशाबाई-धन्नालाल, राजू-मोटलाल, अमरपाल-गोपाल, मुन्नीबाई-बालकिषन, इन्द्राबाई-दिनेश, झोन क्रमांक 3 में फकीरचन्द-रतन, झोन क्रमांक 4 में सुनिताबाई-षिव, ष्यामाबाई-जगदीष, राहूल-मनोहर, दोपहर की षिफ्ट में ० झोन क्रमांक 2 में सरजबाई-राजेन्द्रसिंह, संगीताबाई-रमेष, अनिताबाई-दीपक, कलाबाई-पिस्तोल, झोन क्रमांक 3 में नरेन्द्र-कन्हैयालाल इस तरह 27 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्त/निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।

रात्रिकालिन सफाई के 6 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 24 अप्रैल । षहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 23 अप्रैल षनिवार को निरीक्षण किये जाने पर दीपक-रतन, रवि-उंकार, अमन-सुदेष, विषाल-कैलाष, विकास-किषोर व संदीप संजय द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देष संबंधित को दिये।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिष्ठत अवैध निर्माण का होगा प्रष्मन (कम्पाउडिंग)

30 जून तक प्रष्मन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिष्ठत छूट

रतलाम 24 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रष्मन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिष्ठत के स्थान पर 30 प्रतिष्ठत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रष्मन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिष्ठत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रष्मन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिष्ठत के स्थान पर 30 प्रतिष्ठत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिष्ठत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरुशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रष्मन (कम्पाउडिंग) 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विद्वंस अपषिष्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विद्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो०नं० 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 24 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाइल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाइल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

ज्वान पालकों को अपने ज्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें

रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 24 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ज्वान पालते हैं वे अपने ज्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ज्वान पालकों द्वारा अपने ज्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ज्वान की भाँति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ज्वानों एवं ज्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ज्वान पालक जिन्होंने अपने ज्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले ज्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ज्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ज्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500/- प्रति ज्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्श 100/- रूपये जमा कराना होगा। ज्वान पालकों को अधिकतम् 2 ज्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ज्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ज्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ज्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 24 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की

कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिष्ठित कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिष्ठित कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 24 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/24.04.2022/न.पा.निगम, रतलाम.